

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 मार्च 2023 — चैत्र 2, शक 1945

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-10/2023/वा.क.(आब.)/पांच (08).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18क तथा धारा 62 की उप धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ),(छ) और (ज) तथा उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों -

नियम 8 (घ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम 8(घ) प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्-

नियम 8 (घ) दिनांक 01-04-2023 से देशी/विदेशी मदिरा के लिए वेयर हाउस से मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :-

सारणी

क्रं.	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2023-24 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर
1.	देशी मदिरा :- मसाला - 25.0 UP प्लेन - 50.0 UP	रुपये 350/- प्रति प्रूफ लीटर
2.	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2023-24 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :-	
	1. रुपये 1100/- तक	रुपये 385/- प्रति प्रूफ लीटर
	2. रुपये 1101/- से 1400/- तक	रुपये 610/- प्रति प्रूफ लीटर
	3. रुपये 1401/- से 2000/- तक	रुपये 730/- प्रति प्रूफ लीटर
	4. रुपये 2001/- से 2500/- तक	रुपये 880/- प्रति प्रूफ लीटर

	5. रुपये 2501/- से 3600/- तक	रुपये 990/- प्रति पूफ लीटर
	6. रुपये 3601/- से 4600/- तक	रुपये 1050/- प्रति पूफ लीटर
	7. रुपये 4601/- से 6600/- तक	रुपये 1100/- प्रति पूफ लीटर
	8. रुपये 6601/- से 8600/- तक	रुपये 1160/- प्रति पूफ लीटर
	9. रुपये 8601/- से 11100/- तक	रुपये 1210/- प्रति पूफ लीटर
	10. रुपये 11101/- और उससे अधिक	रुपये 1270/- प्रति पूफ लीटर
3.	बीयर (माल्ट) मदिरा:- प्रति बल्क लीटर भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (1) रुपये 100/- प्रति ब.ली. तक (2) रुपये 101/- से 120/- प्रति ब.ली. तक (3) रुपये 121/- प्रति ब.ली. एवं उससे अधिक	ड्यूटी दर (1) रुपये 100/- प्रति ब.ली. (2) रुपये 120/- प्रति ब.ली. (3) रुपये 150/- प्रति ब.ली.
4.	सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/क्लबों के लिये :- (क) विदेशी मदिरा (स्प्रिट) (ख) बीयर (माल्ट मदिरा)	वर्ष 2023-24 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रुपये 385/- प्रति पूफ लीटर वर्ष 2023-24 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रुपये 100/- प्रति बल्क लीटर

टीप:- भारत के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) (Blended & Bottled Outside India) जिन पर कस्टम ड्यूटी का भुगतान आयातक द्वारा किया जा चुका है, ऐसे उत्पाद पर राज्य द्वारा अधिरोपित आबकारी शुल्क को समाप्त किया जाता है।

2. उक्त संशोधन दिनांक 01-04-2023 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.